संचालनालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
लिंक रोड न.**3** भोपाल **462016**
दूरभाष न.0755-2556916 ई-मेल आई-डी :- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/दि.स./**801475/I/1063753/2026** भोपाल,दिनांक **03-06-2026**

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण ,
मध्यप्रदेश।

विषय: दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि संचालन हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में।

---0--

उपरोक्त विषयांतर्गत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम **2016** के तहत निर्मित मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, **2017** के नियम **58 (4)** अंतर्गत दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पूनर्वास के लिए गठित 'राज्य निधि प्रबंधन समिति' के अनुमोदन उपरान्त दिव्यांगजनों के लिए निर्मित राज्य निधि के संचालन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Bharat Singh Gour
Date: 03-06-2026
18:16:58

सहायक संचालक
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
भोपाल, मध्यप्रदेश

पृ.क्र/दि.स./**I/1063753/2026** भोपाल, दिनांक**03-06-2026**

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6. प्रभारी अधिकारी आई.टी.अनुभाग संचालनालय भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

सहायक संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
भोपाल, मध्यप्रदेश

<u>परिशिष्ट-2</u>

// दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि संचालन के दिशा-निर्देश//

1. नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:

I. इस दिशा-निर्देश को "दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि संचालन के दिशा-निर्देश" कहा जाएगा।

II. इनका विस्तार, दिव्यांगजनों की विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

III. यह दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. प्रस्तावना:

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के सर्वांगीण सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित “दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि” का उद्देश्य दिव्यांगजनों की प्रतिभा, नवाचार, उपचार, प्रशिक्षण, खेल, कला, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, रोजगार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम **2016** अंतर्गत अपेक्षित दिव्यांगजन सहायता केन्द्रित निधि संचालित नहीं है। अतः उपर्युक्त लक्षित गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित "दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

3. गतिविधियाँ एवं व्यय सीमा:

I. प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ, सेमिनार, कौशल उन्नयन, कला एवं खेल गतिविधियाँ (पैरा एवं स्पेशल खेल सहित) तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय यात्राओं हेतु वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि ₹**5.00** लाख (प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त किसी अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष मेरिट के आधार पर एक बार)।

II. खेल (पैरा एवं स्पेशल खेल सहित), कला, संगीत, नृत्य एवं अन्य विधाओं में राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजनों में यात्रा, बोर्डिंग, पंजीयन शुल्क एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु–खिलाड़ी, कोच एवं सहयोगियों के लिए संयुक्त रूप से वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि- राज्य के लिए ₹**1.00** लाख, राष्ट्रीय के लिए ₹**2.00** लाख, अंतरराष्ट्रीय के लिए ₹**5.00** लाख।

- राज्य स्तर के केवल उन प्रतियोगिताओं को मान्य किया जाएगा जो संबंधित राज्य

शासन के या राज्य खेल संघ/कला परिषद (जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो) द्वारा आयोजित या अधिकृत हों।

- राष्ट्रीय स्तर के केवल उन प्रतियोगिताओं को मान्य किया जाएगा जो भारत सरकार/मंत्रालय, या राष्ट्रीय खेल महासंघ/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्था द्वारा आयोजित या अधिकृत हों। संबंधित संस्था की सरकारी/प्राधिकृत मान्यता अनिवार्य होगी।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर के केवल उन प्रतियोगिताओं को मान्य किया जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय महासंघ (**International Federation**), या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित/नामित निकाय द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त हों। प्रतिभागी का चयन अधिकृत राष्ट्रीय संस्था/सरकार द्वारा किया गया होना चाहिए।

III. खेल (पैरा एवं स्पेशल खेल सहित), कला, संगीत, नृत्य एवं अन्य विधाओं में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले दिव्यांग प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि:-

- राष्ट्रीय स्तर:
  - स्वर्ण: ₹ **3.00** लाख
  - रजत: ₹ **2.00** लाख
  - कांस्य: ₹ **1.00** लाख
- अंतरराष्ट्रीय स्तर:
  - स्वर्ण: ₹ **10.00** लाख
  - रजत: ₹ **7.00** लाख
  - कांस्य: ₹ **5.00** लाख
  -

IV. आर्थिक रूप से अक्षम दिव्यांग व्यक्तियों (जिनकी व्यक्तिगत/अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय राशि रूपये **8.00** लाख से अधिक न हो) हेतु विशेष उपकरणों की मरम्मत (जैसे कोक्लियर इम्प्लांट के पश्चात उसका रख-रखाव एवं अन्य दिव्यांगता संबंधी उपकरणों के मरम्मत इत्यादि) एवं उच्च सहायता आवश्यकताओं (**High Support Need**) संबंधी आवश्यक विशेष उपचार/उपकरण आदि पर वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि ₹**10.00** लाख तक प्रति हितग्राही।

V. शैक्षणिक/तकनीकी उत्कृष्टता एवं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में शोध-पत्र प्रस्तुति हेतु यात्रा, बोर्डिंग, पंजीयन शुल्क एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु – वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि ₹**5.00** लाख (वर्ष में एक शोधार्थी को एक बार)।

VI. नवाचार/नवीन प्रयोग (संबंधित जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर) हेतु वास्तविक व्यय

या अधिकतम राशि ₹**5.00** लाख।

VII. अन्य गतिविधियाँ जो समय-समय पर राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियम **2017** के नियम **58 (4)** अंतर्गत राज्य निधि के प्रबंधन हेतु गठित समिति द्वारा शामिल की जाये।

VIII. गतिविधियों/लाभों के दोहरीकरण से बचने के लिए जिन-जिन गतिविधियों में इस निधि से दिव्यांगजनों को लाभ प्राप्त होगा, उन-उन गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम **1970** अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम **2013** एवं संशोधित नियम **2020** अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार इस निधि अंतर्गत शामिल गतिविधियों (पुरस्कार को छोड़कर) के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार तथा अन्य किसी शासकीय/गैर शासकीय संस्था से सहायता राशि प्राप्त होने पर, उक्त प्राप्त की गई राशि को समायोजित किया जाकर, निर्धारित सीमा के भीतर केवल अंतर की राशि ही स्वीकृत की जायेगी।

4. आवेदन प्रक्रिया:

I. आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों हेतु परियोजना/उपकरण/यात्रा आदि का अनुमान **(Estimate)**, देयक एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा।

II. प्रत्येक प्रस्ताव संयुक्त/उप संचालक द्वारा जिला कलेक्टर की अनुशंसा सहित पोर्टल के माध्यम से आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण को प्रेषित किया जाएगा।

III. राशि का भुगतान हितग्राहियों के बैंक खातों में ऑनलाईन ई-भुगतान प्रणाली से किया जाएगा। प्रतिपूर्ति स्व-प्रमाणित बिल/वाउचर के आधार पर होगी। यदि प्राक्कलन के आधार पर हितग्राही को अग्रिम राशि दी जाती है, तो आयोजन समाप्ति के **15** दिवस के भीतर हितग्राही द्वारा संबंधित जिला कार्यालय में बिल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

IV. निधि से लाभान्वित दिव्यांगजन हितग्राहीयों की सूची प्रत्येक वर्ष विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

5. वित्तीय प्रावधान:

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम अंतर्गत संचालित निराश्रित निधि से "दिव्यांगजनों के लिये राज्य निधि" का संचालन राशि ₹**32** करोड़ की उपलब्ध प्रारंभिक राशि से प्राप्त होने वाले वार्षिक ब्याज व राज्य दिव्यांगजन अधिकार नियम

2017 के नियम **58 (1)** अंतर्गत उल्लेखित स्त्रोतो से प्राप्त वार्षिक आय से किया जाएगा।

6. अंकेक्षण:

राज्य दिव्यांग सहायता निधि का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष पंजीकृत संस्था/फर्म द्वारा कराया जाएगा। साथ ही समय-समय पर अन्य संवैधिक संस्थाओं द्वारा भी ऑडिट किया जा सकेगा।

7. अतिरिक्त निर्देश:

I. व्यय संबंधी अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:

योजना/कार्यक्रम अंतर्गत किए गए समस्त व्ययों हेतु मूल बिल, रसीद एवं अन्य वित्तीय अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल विधिवत सत्यापित एवं वैध दस्तावेजों के आधार पर ही प्रतिपूर्ति/भुगतान की पात्रता मान्य की जाएगी। अप्रमाणित, अपठनीय अथवा फोटोकॉपी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।

II. पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य:

किसी भी आयोजन, सहभागिता, यात्रा अथवा व्यय के पूर्व संबंधित विभाग/सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। पूर्व स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय अथवा दावा शासन द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा तथा उसकी प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

III. केवल अधिकृत प्रतिभागियों की पात्रता:

योजना अथवा आयोजन का लाभ केवल उन प्रतिभागियों/प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित अथवा अधिकृत किया गया हो। अनाधिकृत, अपंजीकृत अथवा स्वविवेक से सहभागिता करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की वित्तीय अथवा प्रशासनिक सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

IV. निजी एवं गैर-शासकीय आयोजनों पर अपात्रता:

निजी, व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा गैर-शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों/आयोजनों पर शासन की उक्त सुविधा, अनुदान, प्रतिपूर्ति अथवा अन्य लाभ लागू नहीं होंगे।

V. यात्रा देयक, मील भत्ता एवं ठहराव संबंधी पात्रता:

राज्य सीमा के अन्दर एवं राज्य सीमा के बाहर यात्रा देयक, मील भत्ता एवं ठहराव के समस्त प्रयोजनों हेतु मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम **2017** एवं समय-समय पर अद्यतन किये गये अनुसार वर्गीकृत श्रेणी-बी अनुरूप ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु भारतीय ऑपरेटर की डायरेक्ट फ्लाईट तथा ईकोनॉमी क्लास की यात्रा मान्य होगी। फ्लाइट का चयन करते समय न्यूनतम किराया वाली फ्लाइट की पात्रता होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था हेतु न्यूनतम आवश्यक दिवस (प्रतियोगी के प्रतियोगिता में भाग लेने की अवधी), न्यूनतम किराये का होटल रूम (वास्तविक या अधिकतम किराया रू. **10,000** प्रति दिवस) की पात्रता होगी।

संबंधित सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित

Digitally signed by
Krishna Gopal Tiwari
Date: 03-06-2026
13:09:33

सदस्य सचिव/आयुक्त

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश भोपाल